# THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH MCRC-49468-2021

Ajay @ Raju Vs. State of MP

Gwalior, Dated: 29-10-2021

Shri S.S. Kushwah, Counsel for the applicant.

Shri C.P. Singh, Counsel for the State.

Case Diary is available.

This twelfth application under Section 439 of Cr.P.C. has been filed for grant of bail. Eleventh application of the applicant was dismissed on merits by order dated 05.07.2021.

The applicant has been arrested on 01.06.2016 in connection with Crime No.477/2016 registered at Police Station – Kotwali Distt. Shivpuri for offence under Section(s) 302, 307, 394 of IPC and Section 11/13 of MPDVPK Act and Section 25/27(3) of Arms Act.

By order dated 20.11.2020 passed in M.Cr.C. No.43708/2020, this Court had directed the Trial Court to conclude the Trial within a period of nine months from the said date. However, it appears that no progress took place. From the order-sheets which have been filed by the applicant, it was found that the applicant never filed the copy of the order dated 20.11.2020 passed in M.Cr.C. No. 43708/2020 before the Trial Court. However, since a copy of the order is also being sent by the Registry of this Court by E-mail, therefore, a report was called from the Trial Court as to whether the Trial Court had ever received the copy of the order passed in M.Cr.C. No.43708/2020 or not.

In response, the following report has been given by the Trial

## THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH MCRC-49468-2021 Ajay @ Raju Vs. State of MP

#### Court:-

''न्यायालय—विशेष न्यायाधीश, एम.पी.डी.वी.पी.के. एक्ट शिवपुरी, जिला शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक....606....

शिवपुरी, दिनांक- 26/10/2021

प्रति.

माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर

द्वाराः माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला शिवपुरी म.प्र.

विषयः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.2020 अंतर्गत एम.सी.आर.सी. क्रमांक <u>43708 / 2020</u> के पालन के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भः माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर का स्मरण पत्र क्रमांक 8810 / एम.सी.आर.सी. / 49468 / 2021 दिनांकित 25.10. 2021

---000---

माननीय महादेय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन यह है कि संदर्भित पत्र के अनुसार दिनांक 24.11.2020 को उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्णित आदेश माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से जिला न्यायालय शिवपुरी की ई—मेल पर प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश किया गया है कि अपराध क्र.477 / 2016 थाना कोतवाली शिवपुरी से संबंधित प्रकरण इस न्यायालय द्वारा 09 माह के अंतर्गत निर्णीत किया जाना था, परन्तु इस न्यायालय के संबंधित विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक—346 / 2016 की संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन पर यह पाया गया कि मानननीय उच्च न्यायालय ई—मेल के माध्यम से कम्प्यूटर अनुभाग में प्राप्त माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर का आदेश दिनांकित 20.11.2020 सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर से आज दिनांक तक कभी भी इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

इस संबंध में आज दिनांक 26.10.2021 को सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय शिवपुरी से मौखिक रूप से पूछे जाने पर उसके द्वारा अपने अनुभाग का जावक रजिस्टर देखकर बताया गया कि उक्त रजिस्टर के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त विषयान्तर्गत उल्लेखित ई—मेल, दिनांक 24.11.2020 या उसके पश्चात् कभी भी इस न्यायालय को प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा पत्र प्रेषित

## THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH MCRC-49468-2021 Ajay @ Raju Vs. State of MP

कर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला शिवपुरी के माध्यम से सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय शिवपुरी से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके उत्तर में उसके द्वारा यह लेख किया गया है कि वह दिनांक 22. 03.2021 में जिला न्यायालय शिवपुरी में पदस्थ है एवं उक्त ई—मेल उसके पूर्व दिनांक 24.11.2020 का है, इसलिए वह यह बताने में असमर्थ है कि उक्त ई—मेल संबंधित न्यायालय को किन कारणों से प्रेषित नहीं किया जा सका है एवं वर्तमान में वह दिनांक 17.08.2021 से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विहित प्रकिया का पालन कर रहे हैं।

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार निवेदन यह है कि इस न्यायालय को आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांकित 20. 11.2020 प्राप्त नहीं हुआ है एवं न ही उक्त आदेश की सूचना अभियुक्त अभिभाषाक के द्वारा कभी भी इस न्यायालय को दी गई है। निवेदन यह भी है कि आगामी 09 माह में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण का निराकरण आवश्यक रूप से किया जावेगा।

तद्नुसार वांछित स्पष्टीकरण सादर प्रस्तुत है।

संलग्न–1–इस न्यायालय द्वारा सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय शिवपुरी को प्रेषित पत्र की छायाप्रति।

2—सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय शिवपुरी श्रीमती अर्चना राजपूत द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

> शिवकांत विशेष न्यायाधीश एम.पी.डी.वी.पी.के. एक्ट शिवपुरी (मध्यप्रदेश)''

From the report submitted by the Trial Court, it appears that System Analyst, District Court, Shivpuri had received a copy of the order through E-mail but it appears that he never forwarded the same to the Trial Court. This lapse on the part of the System Analyst, District Court, Shivpuri is serious.

Accordingly, the District and Sessions Judge, Shivpuri is directed to look into the matter and to take necessary action against the erring employee as well as to ensure that from today onwards, all the orders received from the High Court are immediately forwarded

# THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH MCRC-49468-2021

Ajay @ Raju Vs. State of MP

to the concerned Court without any delay latest within a period of two days from the date of receipt of E-mail.

So far as the facts of the present case are concerned, previous bail applications have already been considered on merits and even the applicant did not file the copy of the order dated 20.11.2020 passed in M.Cr.C. No.43708/2020 before the Trial Court, accordingly, no case is made out for grant of bail.

The application fails and is hereby dismissed.

However, the Trial Court is directed to make every endeavour to decide the trial within a period of nine months from today. It shall be the duty of the concerning Clerk posted in the District Court, Shivpuri to ensure that a copy of the order passed today, which would be sent by the Registry of this Court through E-mail, is positively placed before the Trial Court.

Counsel for the applicant is also directed to file a certified copy of this order before the Trial Court for necessary information and compliance.

The Registry of this Court is directed to supply a hard copy of this order to the District and Sessions Judge, Shivpuri for necessary information and compliance.

> (G.S. Ahluwalia) Judge

